

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-18-02-2019

संख्या-12/प0 (मू0को0)-405/14-सा0प्र0-2284/ बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए/संबंधित विभाग से सेवा वापस लेते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम , कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती कुमारी अनुपम सिंह 1297/11, रोहतास	अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ, कैमूर।	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर
2	श्रीमती निवेदिता कुमारी, 1367/11, मुजफ्फरपुर	वरीय उप समाहर्ता, सीतामढ़ी।	अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद
3	श्री अनिल कुमार दास, 1307/11, जमुई	वरीय उप समाहर्ता, शिवहर।	अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पश्चिम
4	श्री अमरेन्द्र कुमार पंकज, 1375/11, कैमूर	जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार।	अनुमंडल पदाधिकारी, वायसी, पूर्णिया
5	श्रीमती रोजी कुमारी, 1402/11, पूर्णियां	भूमि सुधार उप समाहर्ता, त्रिवेणीगंज, सुपौल।	अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया सदर
6	श्री शहनावज अहमद नियाजी 1243/11, पटना	वरीय उप समाहर्ता, खगड़िया।	अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज
7	श्री धर्मेन्द्र कुमार 1430/11, नवादा	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सोनपुर, सारण	अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया
8	मो0 शफीक, 1335/11, सिवान	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोपालगंज सदर, गोपालगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर
9	श्री सुमित कुमार, 1315/11, गया	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, महुआ, वैशाली	अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़
10	श्री लाल ज्योतिनाथ शाहदेव, 1336/11, झारखंड	वरीय उप समाहर्ता, पटना	अनुमंडल पदाधिकारी, डेहरी
11	श्री जन्मेजय शुक्ला, 1329/11, उ0प्र0	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डुमराँव, बक्सर	अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ
12	श्री शंभु शरण पाण्डेय, 1221/11, लखीसराय	वरीय उप समाहर्ता, गया	अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर
13	श्री संजीव कुमार, 1396/11, बेगूसराय	भूमि सुधार उप समाहर्ता, किशनगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, सीवान सदर

18/2/19

14	श्री वीरेन्द्र कुमार, 1240/11 शेखपुरा	वरीय उप समाहर्ता, वैशाली	अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर
15	श्री बृजेश कुमार, 1247/11, प0 चम्पारण	वरीय उप समाहर्ता, नालंदा	अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया, पूर्वी0 चम्पारण।

2. अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित होने वाले पदाधिकारियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

3. सभी स्थानान्तरित पदाधिकारी पारगमनकाल का उपभोग किये बिना नव पदस्थापित पद पर अविलम्ब योगदान/प्रभार ग्रहण कर सामान्य प्रशासन विभाग को सूचित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*9/3/19*  
(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0 (मू0को0)-405/14-सा0प्र0-2284 /पटना-15, दिनांक-18-02-2019  
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ ;आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार ;ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त ;वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु/संबंधित कोषागार/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-1,2,8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*9/3/19*  
सरकार के अपर सचिव